

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 277 / संचा.-वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 17 / 2 / 2026

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

2. प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ
मर्या. अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1208 तारांकित द्वारा श्रीदलेश्वर साहू, सदस्य
विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1208 तारांकित की
प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी
'यूनिकोड फॉन्ट' में) दिनांक 19.02.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड
कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न
विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

पृ.क्रमांक 278 / संचा.-वि.स. / 2026

प्रतिलिपि :-

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की
जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर
नवा रायपुर, दिनांक 17 / 2 / 2026


सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 27/02/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : राईस मिलो से फोर्टीफाईड राईस कर्नल (एफ.आर.के.) की पूर्ति

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1208) श्रीदलेश्वर साहू

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

क्या तारांकित संख्या प्रश्न, संख्या 8 (क्र.951), दिनांक 18 जुलाई, 2025 के उत्तर में, यह बताया गया है कि 01.05.2025 के पूर्व 94 फोर्टीफाईड राईस कर्नल (एफ.आर.के.) निर्माता मिलों पंजीकृतों से फोर्टीफाईड राईस की पूर्ति विभिन्न दरों पर की जाती थी? राज्य शासन द्वारा कस्टम मिलिंग नीति अनुसार फोर्टीफाईड राईस की आपूर्ति किस दर से निर्धारित है? वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के मिलरों को किस-किस दर पर किन-किन राईस मिलों से फोर्टीफाईड राईस कर्नल की पूर्ति की गई तथा केन्द्र या राज्य सरकार के निर्धारित दर प्रति किलो अनुसार किये गये मिलरों से भुगतान वापस लिया गया है? हां तो किन-किन कारणों से मिलवार जानकारी दें ?

Sent From : vidhan | Sent Date : 17/02/2026 02:08:49 |

Remark :

marked/

All collector

(आयत विस्तृत सहित संशोधन हेतु)